सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री शारदा सिंह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0) छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 01/2016 दिनांक 28.01.2016

श्री विनोद कुमार साहू
आर.ई.एस.कालोनी, वार्ड कमांक–09
भानुप्रतापपुर जिला– कांकेर (छ0ग0)
पिन नबंर– 494669

विरूद्ध

श्री एस. आर. बांधेय
जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो प्रतिअपीलार्थी
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर

–:: आदेश ::–

(दिनांक 23.02.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत दिनांक 27.01.2016 को प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 01/2016 दिनांक 28.01.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 17.12.2015 के माध्यम से आपके विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्न कर्मचारियों की पुनः आवेदित दिनांक एवं आपके कार्यालय को प्राप्त दिनांक सहित आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति चाही गई थी, जिनका नाम निम्नलिखित है–

(1) श्री संजय स्वामी पिल्ले, पिता स्व. रामचन्द्रन पिल्ले, (2) श्री अजय कुमार सोनी पिता स्व. भारत प्रसाद सोनी, (3) श्री राहुल ठाकरे पिता स्व. डी. एच. ठाकरे, (4) श्री राहुल त्रिपाठी पिता स्व. पंकज कुमार त्रिपाठी, (5) श्री टी. सिम्हाचलम पिता स्व. रामाराव।

उक्त वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मुझे उपलब्ध ना कराकर अन्य जानकारी उपलब्ध करायी गई है जिससे मै संतुष्ठ नही हूँ। क्योकि मैने उक्त कर्मचारियों की पुनः आवेदित दिनांक एवं आपके कार्यालय को प्राप्त दिनांक सहित आवेदन पत्र की छायाप्रति चाही थी। अतः मुझे उक्त जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए, सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ/04–05/दिनांक 03.02.2016 के द्वारा जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 23.02.2016** को सांय 4:00 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्रमांक जी–9 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू के द्वारा दी गई पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में